संख्या-99/2022/1631/26-3-2022-100(114)/99टी0सी0

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य मद्य निषेध अधिकारी,
उ0प्र0 जवाहर भवन,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 अगस्त, 2022

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत योजना ड्रग की मांग घटाने के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (एन0ए0पी0डी0डी0आर0) की धनराशि एस0एन0ए0 में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1811 पी0पी0/26-67/2022, दिनांक-08.08.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में एन0ए0पी0डी0डी0आर0 योजना के कार्यो के सम्पादन हेतु बजट प्राविधानित धनराशि रू0 3,53,97,000/-(रू0 तीन करोड़ तिरपन लाख सत्तानबे हजार मात्र) विभाग के सिंगल नोडल अकाउन्ट नं0-40761818943 भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ, IFSC कोड- SBIN 0006144 में स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना एन0ए0पी0डी0डी0आर0 (नेशनल एक्शन प्लान फार ड्रग्स डिमान्ड रिडक्शन) योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-80 लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-105-नशाबन्दी-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-ड्रग की मांग घटाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एन0ए0पी0डी0डी0आर0) (के.-100%-रा.के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में कुल धनराशि रू0 6,37,69,240/- (रू0 छः करोड़ सैतीस लाख उनहत्तर हजार दो सौ चालीस मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-3,53,97,149/-(रू0 तीन करोड़ तिरपन लाख सत्तानबे हजार एक सौ उन्नचास मात्र) जो राज्य सरकार के पास अवशेष है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एन0ए0पी0डी0डी0आर0 योजना हेतु प्ररस्ताव भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है, जिसके अनुमोदन की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2022-23 में एन0ए0पी0डी0डी0आर0 योजना के अन्तर्गत कार्यो के सम्पादन हेतु बजट प्राविधानित धनराशि रू0-3,53,97000/- को एस0एन0ए0 में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त उक्त धनराशि को एस0एन0ए0 में जमा करने की अनुमति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं -

(1)-वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)-यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3)-बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व मद्य निषेध विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4)-प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(6)-योजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)-प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार से विगत वर्षो में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002-23 में उपलब्ध होने के संबंध में स्व-स्तर से सुनिश्चित किये जाने के उपरांत ही वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी ।

(8)-प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में मद्य निषेध विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व राज्य मद्य निषेध अधिकारी मद्य निषेध विभाग का होगा।

(9)-आकडों की शुद्ता का दायित्व मद्य निषेध विभाग का होगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0-3,53,97,000/- (रूपया तीन करोड़ तिरपन लाख सत्तानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 लेखाशीर्षक-2235021050101 ड्रग की मांग घटाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (के.100/रा.0-के.) मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-4-129-X-2022.23.दिनांक-21.07.2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

5- भारत सरकार को प्रेषित एन0ए0पी0डी0डी0आर0 कार्य योजना के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार राज्य मद्य निषेध अधिकारी द्वारा इस हेतु तत्समय उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय स्वीकृति/व्यय की अनुमति पृथक से निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

<u>पृ0संख्या-99/2022/1631(1)/26-3-2022 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।
3- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8 निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in